सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः– 145 / प्रा0पत्र / 2020 दायरा दिनांक :–12.07.2022

GCMS ID–2022 / 268

उनवान

1. शैलेश कुमार आ0 सागरचंद जाति महाजन निवासी मकान नम्बर 1254–ए, आर0के0पुरम0 कोटा जिला कोटा
2. अरविन्द कुमार आ0 सागरचंद जाति महाजन निवासी मकान नम्बर 1254–ए, आर0के0पुरम0 कोटा जिला कोटा
3. रविकुमार आ0 सुरेश कुमार जाति महाजन निवासी आदर्श नगर सुमन विहार बी–2 कोटा-जिला कोटा
4. अंकित कुमार आ0 सुरेश कुमार जाति महाजन निवासी आदर्श नगर सुमन विहार बी–2 कोटा जिला कोटा
5. निक्की कुमार आ0 सुरेश कुमार जाति महाजन निवासी आदर्श नगर सुमन विहार बी–2 कोटा जिला कोटा

प्रार्थीगण

बनाम

1. गिरिराज आ0 बरधा जाति लोधा निवासी ढगारिया–चेंता तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
2. बरधा आ0 केसरा जाति लोधा निवासी ढगारिया–चेंता तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
3. केसरा आ0 मन्ना जाति लोधा निवासी ढगारिया–चेंता तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
4. केसरीलाल आ0 भंवरलाल जाति लोधा निवासी ढगारिया–चेंता तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
5. किशनलाल आ0 मन्ना जाति लोधा निवासी ढगारिया–चेंता तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
6. खानी पुत्री कल्याण जाति लोधा निवासी ढगारिया–चेंता तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
7. प्रकाश आ0 सुवा जाति लोधा निवासी ढगारिया–चेंता तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
8. मूलचन्द आ0 कल्याण जाति लोधा निवासी ढगारिया–चेंता तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
9. महावीर आ0 प्रताप जाति लोधा निवासी ढगारिया–चेंता तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
10. मोहन आ0 सुवा जाति लोधा निवासी ढगारिया–चेंता तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

वकील प्रार्थी :– श्री शम्भूदयाल शर्मा

वकील अप्रार्थीगण :– एकतरफा

आदेश

दिनांक : 30.04.2025

प्रार्थीगण का मुख्य रूप से कथन है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 1047 रकबा 2.1853 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1056 रकबा 0.3399 हैक्टेयर,

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

खसरा संख्या 1072 रकबा 0.0567 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 2.5819 हैक्टेयर वाके ग्राम ढगारिया तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है जो प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है जिस पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है। भूमि की जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 1047 से दक्षिणी साइड पर भूमि खसरा संख्या 1056 व 1072 स्थित है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 1047 की उत्तरी ओर पक्की सडक बनी हुई है लेकिन उक्त भूमि खसरा संख्या 1047 के पूर्वी साइड पर खसरा संख्या 1053 व पश्चिम साइड पर खसरा संख्या 1046, 1044, 1201/1044 की भूमियां स्थित है जो अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि व अप्रार्थीगण की भूमियों के मध्य कौई स्थायी मुश्तिकीम निशान नहीं है इस कारण पडोसी काश्तकार अप्रार्थीगण आये दिन भूमि की सीमाओं के संबंध में विवाद करते हैं। प्रार्थीगण कोटा रहते है जिनका हर रोज भूमि पर आकर देख भाल करना संभव नहीं है। इस अनुचित फायदा उठाकर पडोसी काश्तकार मेडो को काट कर अपने खेतों में मिलाते रहते है तथा मना करने पर लडाई झगडा करने पर आमादा रहते है। प्रार्थीगण की भूमियों की फसल को आवारा मवेशी भी नष्ट करते है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण अपनी भूमि खसरा संख्या 1047, 1056, व 1072 के चारो तरफ तारपेंसिंग करना चाहते है लेकिन अप्रार्थीगण भूमि पर तारपेंसिंग के संबध में भी विवाद पैदा करते है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के समक्ष अप्रार्थीगण की मौजूदगी में प्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगढी करवाने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं बचा है। प्रार्थीगण ने अपनी भूमि के सीमाज्ञान हेतु आवेदन किया और पटवारी द्वारा दिनांक 02.06.2022 को सीमाज्ञान किया गया लेकिन अप्रार्थीगण ने सीमाज्ञान को मानने से इंकार कर दिया और दिनांक 15.06.2022 को अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को धमकी दी कि तुम्हारी भूमि की हमारे सामने पत्थरगढी करवावों, पत्थरगढी करवाये बिना हम तारपेंसिंग भी नहीं करने देंगे, यही पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है जो निरंतर जारी है। प्रार्थीण को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1047, 1056, 1072 की अप्रार्थीगण की उपस्थिति में व पुलिस जाप्ते की मौजूदगी में पत्थगरगढी करवाकर अपनी सीमा पर पत्थर गढवावे एवं सीमाएँ निश्चित करवावें। श्रीमान को लेण्ड रिकॉर्ड आफिसर की हैसियत से प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 10 समीपवर्ती भूमि के खातेदार होने से व पडौसी काश्तकारान होने से पडोसी काश्तकारान की मौजूदगी में पत्थरगढी करवाना जाना आवश्यक होने से अप्रार्थीगण को

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क व तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 1047, 1056, व 1072 वाके ग्राम ढगारिया पटवार मण्डल चेंता की पत्थरगढी अप्रार्थीगण की उपस्थिति एवं पुलिस जाप्त की मौजूदगी में भूमि का नाम करवार प्रार्थीगण की भूमि की सीमा पर पत्थगरगढी करने हेतु तहसीलदार हिण्डोली को आदेशित करने की कृपा करें।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण प्रस्तुत होने पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जरिए नोटिस तलब किए गए। अप्रार्थीगण 1 लगायत 10 की ओर से बावजूद तामिलों के जबाव पेश नहीं किए जाने से जबाव बंद किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में प्रावधान निहित है कि किन्ही सीमाओं से सम्बन्धित किसी विवाद के मामले में लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर, जहाँ तक संभव हो वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर ऐसे विवाद निपटायेगा और यह संभव न हो अथना ऐसे नक्शे उपलब्ध न हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर निपटायेगा। भू–प्रबन्धन कार्य समाप्त होने पर ऐसे विवाद कलक्टर द्वारा निपटाये जाऐंगे। राज्य सरकार ने अधि. सं. एफ. 4 (64) रे. बी. ग्रुप/62 दिनांक 12.06.1963 के द्वारा ये शक्तियाँ एस0डी0ओ0 को प्रत्यायोजित कर दी है।

अभिभाषक प्रार्थीगण को सुना गया। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि विवादित भूमियाँ प्रार्थीगण की खातेदारी भूमियाँ है। जिन पर सीमाबंदी के संबंध में कोई स्थाई निशान नहीं होने से अप्रार्थीगण पडौसी काश्तकार होने से आये दिन प्रार्थीगण की भूमियों पर सीमा संबंध में विवाद करते रहते है। जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बनी रहती है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की भूमियों की पत्थरगढी किए जाने के आदेश फरमाये जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, बहस पर मनन किया, वादग्रस्त आराजी मुताबिक नकल, जमाबंदी संवत् 2076–79 वाके ग्राम ढगारिया पटवार मण्डल चेंता तहसील हिण्डोली की खतौनी संख्या 04 के अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है, अर्थात् प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार है। कोई भी रिकार्डेड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी होता है। पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र में किसी पक्षकार के हितों

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

का निर्धारण नहीं किया जाना है। पत्थरगढी द्वारा केवल विवादित भूमि की सीमाओं को तय किया जाता है।

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर नायब तहसीलदार, दबलाना को निर्देश है कि आराजी खाता संख्या 04 के खसरा संख्या 1047 रकबा 2.1853 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1056 रकबा 0.3399 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1072 रकबा 0.0567 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 2.5819 हैक्टेयर वाके ग्राम ढगारिया पटवार मण्डल चेंता जो कि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजीयात की प्रार्थीगण से नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रार्थीगण व आराजी के पडौसी खातेदारान को सूचित करते हुए उनकी मौजूदगी में विवादित भूमि बाबत किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने की स्थिति में व उक्त आराजी में फसल मौजूद नहीं होने की स्थिति में मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर एवं कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुए पत्थरगढ़ी करवाये। पालनार्थ नायब तहसीलदार, दबलाना को तहरीर जारी हो एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/04/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446